नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

2 2047 तक विकसित कृषि का रोडमैप तैयार

4 कांग्रेस व लेफ्ट ने ठुकराई ममता की अपील

9 117 महिला लीडर्स के पास करोड़ों की संपत्ति

10 उन्नति, तन्वी ताइपे ओपन के सेमीफाइनल में

ऊर्जा में आएगी आत्मनिर्भरता

1 गहरे समुद्र में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज में भारत का बड़ा फैसला

2 खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल महासंघों को 36,441 करोड़ की सौगात

3 प्रतिवर्ष 6,000 रुपये सहायता, तीन समान किस्तों बैंक खातों में होंगी हस्तांतरित

नई दिल्ली, 31 जुलाई. देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार ने गहरे समुद्र में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए 84,084 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई.

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू की जाएगी और इसका उद्देश्य भारत के अपतटीय ऊर्जा संसाधनों का अधिकतम दोहन करना है. सरकार के अनुसार योजना को दो प्रमुख चरणों में लागू किया जाएगा.

पहले चरण में भारतीय समुद्री सीमा के गहरे और अति-गहरे क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक की मदद से उच्च गुणवत्ता वाले भूकंपीय (सीस्मिक) आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, ताकि संभावित तेल और गैस भंडारों की सटीक पहचान हो सके. इस कार्य पर 28,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. दूसरे चरण में खोजे गए क्षेत्रों में ड्रिलिंग, उत्पादन और तेल-गैस निकालने की प्रक्रिया पर 43,200 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके अलावा पहले से लंबित अपतटीय परियोजनाओं को गति देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की सहायता साझा उत्पादन एवं परिवहन अवसंरचना विकसित करने पर खर्च की जाएगी. वहीं 2,000 करोड़ रुपये की लागत से तेल एवं गैस विनिर्माण और सेवा क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे घरेलू उद्योगों और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा. सरकार का अनुमान है कि इस योजना के माध्यम से लगभग 60 करोड़ टन कच्चे तेल और गैस के संभावित भंडार खोजे जा सकते हैं. इस योजना के तहत 5,070 करोड़ रुपये की लागत से देशभर में पांच हज़ार मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का विकास किया जाएगा.

84,000	10,000	43,200	5,070
करोड़ रुपये की लागत से तेल एवं गैस विनिर्माण	करोड़ रुपए परियोजनाओं को गति देने के लिए	करोड़ तेल-गैस निकालने की प्रक्रिया पर खर्च	करोड़ से होगा एफएसपीवी परियोजनाओं का विकास

सरकार ने पीएम-किसान के लिए 3.15 लाख करोड़ किये मंजूर

सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लेते हुए इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। योजना के तहत पात्र भू-स्वामी किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।

खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल महासंघों को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित 'खेलो इंडिया' योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों को बढ़ी हुई वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है. वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए इन योजनाओं पर 36,441 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सरकार ने इसे आजादी के बाद देश का सबसे महत्वाकांक्षी खेल विकास कार्यक्रम बताया है. सरकार के अनुसार, संशोधित खेलो इंडिया योजना का बजट पिछली योजना की तुलना में करीब आठ गुना बढ़ाया गया है. इसके तहत खेलों को शिक्षा, फिटनेस, तकनीक और उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा.

एक नजर में

मोदी आज आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक यात्रा पर

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की यात्रा पर जाएंगे. वह आन्ध्र प्रदेश में 17,900 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उद्घाटन करेंगे और लोकार्पण करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को बताया कि श्री मोदी शनिवार सुबह आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे.

रेलवे भर्ती में देनी होगी बीमारी की पूरी जानकारी

नई दिल्ली. रेलवे में नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के नियम और सख्त कर दिए हैं. अब अभ्यर्थी को चिकित्सकीय परीक्षण से पहले अपने स्वास्थ्य से जुड़ी पूरी जानकारी शपथपूर्वक देनी होगी. रेलवे बोर्ड ने रेलवे चिकित्सकीय नियमावली के तहत स्व-घोषणा पत्र का नया प्रारूप लागू कर दिया है, जो अब सभी आगामी भर्तियों में अनिवार्य होगा. रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लिया है. संशोधित व्यवस्था में सहायक लोको पायलट भर्ती तथा दृष्टि सुधार के लिए कराई जाने वाली लेजर नेत्र शल्यक्रिया से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं.

7 से शुरू हो सकती है नीट-यूजी काउंसलिंग

नई दिल्ली. देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए नीट यूजी 2026 काउंसलिंग का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी शीघ्र ही काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम जारी करने की तैयारी में है. संभावना जताई जा रही है कि 7 अगस्त 2026 से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी. इसके साथ ही उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कॉलेज एवं कोर्स की चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. संभावना है कि पहले चरण का सीट आवंटन परिणाम अगस्त के मध्य तक घोषित किया जा सकता है.

शनिवार को महिलाएं संभालेंगी पीठ की कमान

बेंगलुरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ शनिवार यानी एक अगस्त को नया इतिहास रचने जा रही है. आमतौर पर पुरुषों के वर्चस्व वाले अदालत कक्ष में उस दिन की पूरी न्यायिक कार्यवाही केवल महिलाओं के हाथों में होगी. उस पूरे दिन अदालत की पीठ और बार दोनों ही जगहों की कमान पूरी तरह महिलाएं संभालेंगी. कर्नाटक के इतिहास में यह पहला मौका है, जब किसी उच्च न्यायालय में पूरे दिन की कार्यवाही केवल महिला न्यायाधीशों और महिला सरकारी अधिवक्ताएं संचालित करेंगी. इस विशेष शनिवार की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने अधिसूचना जारी की है. अदालत में मामलों की सुनवाई के लिए तीन खंडपीठ और चार एकल पीठ सहित कुल सात विशेष पीठों का गठन किया गया है, जिनकी कमान 10 महिला न्यायाधीश संभालेंगी.

क्लॉड एआई ने गलती से तीन कंपनियों के सिस्टम में सेंध लगाई

सैन फ्रांसिस्को, 31 जुलाई. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की दिग्गज अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि उसके एआई मॉडल क्लॉड ने सुरक्षा जांच के दौरान गलती से तीन असली कंपनियों के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगा दी. कंपनी ने इसे एआई की नहीं, बल्कि इंसानी और तकनीकी भूल का नतीजा बताया है. कंपनी ने अपने आंतरिक समीक्षा के बाद यह जानकारी सार्वजनिक की है.

भारतीय पैरा एथलीट्स ने CWG में 100 मीटर T47 में स्वर्ण और रजत पदक जीते!

सीमा ने डिस्कस थ्रो में जीता कांस्य पदक

राष्ट्रमंडल खेल: कालीरामनाएक टॉप एथलीट के तौर पर भी आगे बढ़ी हैं

ग्लासगो (स्कॉटलैंड) 31 जुलाई भारतीय एथलीट सीमा कालीरामना ने राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के डिस्कस थ्रो में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता. यह एथलेटिक्स में भारत का चौथा पदक है.

27 साल की भारतीय एथलीट ने स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में गुरुवार को अपने तीसरे प्रयास में 58.66 मीटर का बेस्ट मार्क हासिल किया - जो उनके 59.73 मीटर के निजी सर्वश्रेष्ठ से थोड़ा ही कम था. उन्होंने अपनी साथी खिलाड़ी निधि रानी की कड़ी चुनौती को पीछे छोड़ा, जो 57.10 मीटर के साथ चौथे स्थान पर रहीं. जमैका की सामंथा हॉल ने 61.66 मीटर के थ्रो के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स का खिताब जीता, जबकि कनाडा की जूलिया टंक्स को 60.67 मीटर के साथ रजत पदक मिला. सीमा ने अपनी छह कोशिशों में से केवल दो ही सही कोशिशें कीं; दूसरी कोशिश में उन्होंने 57.32 मीटर का थ्रो किया था. यह पोडियम सीमा कालीरामना के लिए पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय पदक था; वह पीएचडी की पढ़ाई कर रही हैं और चार साल के बेटे रुद्र की मां भी हैं. असल में, मां बनने के साथ-साथ सीमा एक टॉप एथलीट के तौर पर भी आगे बढ़ी हैं. 2022 में बेटे रुद्र के जन्म से पहले, उनका निजी सर्वश्रेष्ठ 48.08 मीटर था.

निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

- सीईसी चयन पर सुको का सवाल, सीजेआई क्यों बाहर?
- चुनाव आयुक्त चयन पर एससी की सख्त टिप्पणी

नई दिल्ली, 31 जुलाई. मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए.

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पूछा कि जब अन्य संवैधानिक और स्वतंत्र संस्थाओं की नियुक्तियों में भारत के मुख्य न्यायाधीश चयन समिति का हिस्सा होते हैं, तो चुनाव आयोग के मामले में यह व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई गई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. इसलिए आयोग का स्वतंत्र होना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी यह भी है कि उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी दिखाई दे. अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य मौजूदा चयन समिति की निष्पक्षता पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का भरोसा बनाए रखना है. अदालत ने कहा कि जैसे न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए.

भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 की मौत

- रात 11:30 बजे चार मंजिला इमारत ढह गई
- मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका

भिवंडी, 31 जुलाई. महाराष्ट्र के भिवंडी में गुरुवार देर रात हुए भवन हादसे ने एक बार फिर जर्जर इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. रात करीब 11:30 बजे चार मंजिला एक आवासीय इमारत अचानक ढह गई. हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं.

राहत एवं बचाव दलों का कहना है कि मलबे में अभी भी 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका बनी हुई है, इसलिए युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक इस इमारत में कुल 48 कमरे थे और प्रत्येक मंजिल पर 12-12 कमरे बने हुए थे.

पीएम ने किया शोक व्यक्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भिवंडी में चार मंजिला इमारत के एक हिस्सा के ढहने से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की.

पद्मश्री कैलाश चंद्र पंत का निधन

साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता जगत में गहरा शोक

नई दिल्ली, 31 जुलाई. पद्मश्री सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और हिंदी भाषा के प्रखर प्रचारक कैलाश चंद्र पंत का शुक्रवार को भोपाल में निधन हो गया.

उनके निधन की खबर से साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता जगत में गहरा शोक व्याप्त है. हिंदी भाषा के विकास और राष्ट्रभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए उनका योगदान दशकों तक याद किया जाएगा. 26 अप्रैल 1936 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे कैलाश चंद्र पंत ने अपने जीवन का अधिकांश समय हिंदी साहित्य, पत्रकारिता और सामाजिक जागरण के लिए समर्पित किया. उन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र पत्रकारिता का मार्ग चुना और अपना स्वयं का प्रेस स्थापित किया. इसके बाद उन्होंने साप्ताहिक जनधर्म का लगातार 22 वर्षों तक प्रकाशन किया, जिसने सामाजिक सरोकारों और जनजागरण को नई दिशा देने का काम किया. कैलाश चंद्र पंत लंबे समय तक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से जुड़े रहे.

मीराबाई को अर्जुन पुरस्कार देने की सिफारिश

नई दिल्ली, 31 जुलाई. केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव गणपतराव जाधव ने भारत की दिग्गज भारोत्तोलक और ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की अनुशंसा की है.

उन्होंने केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए चानू के नाम पर विचार करने का अनुरोध किया. अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री ने मीराबाई चानू की शानदार खेल उपलब्धियों और भारतीय भारोत्तोलन में उनके लंबे योगदान को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि मणिपुर की इस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है.

प्रतापराव जाधव ने विशेष रूप से राष्ट्रमंडल खेलों में चानू के प्रदर्शन का उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि चानू ने विभिन्न संस्करणों में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय भारोत्तोलन को नई पहचान दी. स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल भार उठाने की स्पर्धाओं में उनके रिकॉर्ड प्रदर्शन ने उन्हें विश्व स्तर की खिलाड़ियों की श्रेणी में खड़ा किया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मीराबाई चानू ने ओलंपिक में पदक जीतने के साथ-साथ कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान हासिल किए हैं.

मंत्रियों की अयोग्यता वाले बिलों पर मिला और समय

- विधेयकों पर शीतकालीन सत्र तक फैसला
- जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा बिलों की जांच जारी

नई दिल्ली, 31 जुलाई. लोकसभा ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों के गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने पर पद के लिए स्वत: अयोग्य माने जाने के प्रावधान वाले तीन विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र तक बढ़ा दिया है.

समिति का समय बढ़ाने के लिए सदन में शुक्रवार को पारित प्रस्ताव में कहा गया, यह सदन संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश करने की समय-सीमा को शीतकालीन सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक बढ़ाता है. इन तीनों विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त, 2025 को विपक्ष के भारी विरोध के बाद लोकसभा में पेश किया था, जिसके बाद इन्हें विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था. समिति का कार्यकाल बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद और इस 31-सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी और इसी पार्टी के सदस्य विष्णु दयाल राम की ओर से पेश प्रस्ताव में इन तीनों विधेयकों की जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया गया था.

30 दिनों तक हिरासत के बाद 31वें दिन छोड़ना होगा पद

इन विधेयकों का उद्देश्य एक ऐसा समान कानूनी ढांचा बनाना है, जिसके तहत यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों को किसी ऐसे अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें पांच साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है और वे लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो उनके लिए पद छोड़ना अनिवार्य हो जाएगा. इन विधेयकों में प्रावधान है कि सार्वजनिक पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति जो गिरफ्तारी के 30 दिनों के भीतर ज़मानत मंजूर नहीं करा पाते हैं, उन्हें 31वें दिन अपना पद छोड़ना होगा. यदि वह व्यक्ति इस्तीफ़ा नहीं देता है, तो उसे पद पर बने रहने से स्वत: अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

मानसून सत्र | संसद परिसर और दोनों सदनों में राजनीतिक माहौल रहा काफी गर्म

हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली, 31 जुलाई. मानसून सत्र के अंतिम दिन संसद परिसर और दोनों सदनों में राजनीतिक माहौल काफी गर्म रहा। राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर विपक्षी दलों ने शुक्रवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में हाथ में दानपेटी लेकर पहुंचे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई सांसदों ने प्रतीकात्मक रूप से दानपेटी में चंदा डालकर अपना विरोध दर्ज कराया। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर सवाल उठाते हुए विभिन्न बैनर भी प्रदर्शित किए और जवाबदेही की मांग की। संसद के भीतर भी विपक्ष के हंगामे का असर कार्यवाही पर पड़ा। सुबह 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित करने का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके बाद लगातार जारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी अवधि तक स्थगित कर दी गई।

सदन में कार्यवाही के अहम बिंदु

- दानपेटी लेकर संसद पहुंचे विपक्षी सांसद, सरकार पर निशाना
- लोकसभा में जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक
- सूचीबद्ध आठ विधेयकों में से दो विधेयक दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं

जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक का उद्देश्य

- जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था को प्रभावी और डिजिटल बनाना है।
- जन्म या मृत्यु से जुड़ी जानकारी एकीकृत प्रणाली में उपलब्ध हो सकेगी।
- नए कानून के बाद जन्म प्रमाण पत्र का महत्व भी बढ़ जाएगा।
- इसे कई सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं में प्रमुख दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।